>

Title: The Minister of Rural Development made a statement regarding status of implementation of National Rural Employment Guarantee Act -laid.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री रामदास आठवले द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ।

मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक होने पर गैर-मौसमी रोजगार उपलब्ध कराकर उनकी आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है। इस अधिनियम को 2 फरवरी, 2006 को 27 राज्यों में 200 जिलों में लागू किया गया था। इसे 1 अप्रैल, 2006 को शेष जिलों में लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत परिवारों की संख्या 31 मार्च, 2006 को 6.4 करोड़ थी। इस अधिनियम के तहत 31 मार्च, 2006 को 2.1 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत 31 मार्च, 2006 को 1.2 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत 31 मार्च, 2006 को 1.2 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस अधिनियम के तहत 31 मार्च, 2006 को 1.2 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया है।

* Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 5753/06

** Laid on the Table and also placed in Library. See No. LT 5754/06